बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
कार्यालय आदेश

संख्या– 1/मु0स्था0 रा0 भू0(विविध)15–40/2012 (1)/रा0, पटना–15, दिनांक–

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–2804 दिनांक–29.03.2010 में निहित प्रावधानों एवं शर्तों के आलोक में सेवानिवृत कर्मियों को बिहार आशुलिपिक सेवा के रिक्त पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु माननीया अध्यक्ष, बिहार भूमि न्यायाधिकरण की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों को संविदा के आधार पर योगदान की तिथि से अगले छः (6) माह के लिए या नियमित कर्मियों के पंदस्थापन, दोनों में से जो पहले हो तक के लिए उनके नाम के सामने कॉलम छः (6) में अंकित पद पर नियोजित करते हुए बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना में पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0	सेवा निवृत्त सरकारी सेवक का नाम	जन्म तिथि	आरक्षण	सेवा निवृत्ति की तिथि	पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री उमाकान्त झा	01.04.1951	सामान्य	31.03.2011	आप्त सचिव
2	श्री इफतेखार हुसैन अंसारी	20.09..1951	अ0 पि0 व0	30.09.2011	आप्त सचिव
3	श्री सुरेश प्रसाद	04.01.19.53	सामान्य	31.01.2013	आप्त सचिव
4	श्री सियाशरण सिन्हा	01.08.1950	सामान्य	31.07.2010	आशुलिपिक
5	श्री सरयुग प्रसाद	01.06.1952	सामान्य	31.05.2012	आशुलिपिक
6	श्री जय प्रकाश सिंह	13.07.1949	सामान्य	31.07.2009	आशुलिपिक
7	श्रीमती आशारानी गुप्ता	20.07.1951	पिछड़ा वर्ग	31.07.2011	आशुलिपिक

2. उपर्युक्त नियोजन अस्थायी है। जिन रिक्तियों के विरूद्ध संविदा पद नियोजन किया जा रहा है, उनपर नियुक्ति/पदस्थापन की प्रक्रिया भी प्रारम्भ है। नियमित नियुक्ति होने के पश्चात इनकी सेवा स्वतः समाप्त कर दी जाएगी।

3. नियोजित कर्मियों की कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और संतोषजनक कार्य नहीं रहने पर उन्हें हटाया जा सकता है। कार्य संतोषजनक होने पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा। अवधि विस्तार नहीं किए जाने की स्थिति में सेवा स्वतः समाप्त माना जाएगा।

4. संविदा पर नियोजित कर्मियों को छः माह में मात्र 6 दिनों की आकस्मिक अवकाश दी जा सकेगी। अन्य किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

5. उपर्युक्त सेवा निवृत्त कर्मियों का नियोजन उनके द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित किए जाने के शर्त्त पर किया जा रहा है। अतएव उन्हें असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा शारीरिक सक्षमता प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। तदोपरान्त बिहार भूमि न्यायाधिकरण पटना में एकरारनामा के साथ नियोजित किए जाएँगे। नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को मासिक मानदेय का भुगतान सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2804 दिनांक–29.03.2010 की कंडिका–5 (क), (v) में निहित शर्त्तों एवं प्रावधानों के आलोक में बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना द्वारा किया जाएगा। मानदेय भुगतान के पूर्व नियोजित कर्मी से उनके अंतिम भुगतेय पेन्शन की राशि की जानकारी पी0 पी0 ओ0 एवं अन्य अभिलेखों से कर लेगें।

ह0/–

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–1/मु0स्था0 रा0 भू0(विविध)15–40/2012 377 (1)/रा0, पटना–15, दिनांक–26/4/13

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–1/मु0स्था0 रा0 भू0(विविध)15–40/2012 377(1)/रा0, पटना–15, दिनांक–26/4/13

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय सदस्य (प्रशासनिक), बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना को उनके पत्रांक–173 दिनांक–01.04.2013 के प्रसंग में/सभी सम्बन्धित सेवा निवृत्त कर्मियों/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. बिहार भूमि न्यायाधिकरण से अनुरोध है कि उक्त कर्मियों से विहित प्रपत्र में हस्ताक्षरित एकरारनामा नाम प्राप्त करने के पश्चात योगदान स्वीकृत करने की कार्रवाई की जाय।

योगदान स्वीकृति आदेश के साथ एकरारनामा की एक प्रति एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

3. नियोजित सेवा निवृत्त कर्मियों को निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा एवं असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ बिहार भूमि न्यायाधिकरण में योगदान समर्पित करें।

ह0 26/4/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव